

LAY-OUT PLAN TECHNICALLY
EXAMINED AND RECOMMENDED
FOR APPROVAL AS PER CONDITIONS
MENTIONED IN ENCLOSED LETTER
NO TPR/1800/वि.सं./30/शहपुरा/2014/897

DATED 24-NOV-2014

सहायक नगर नियोजक (जिल्हा)
कायलिय मुख्य नगर नियोजक
राजस्थानी जयपुर

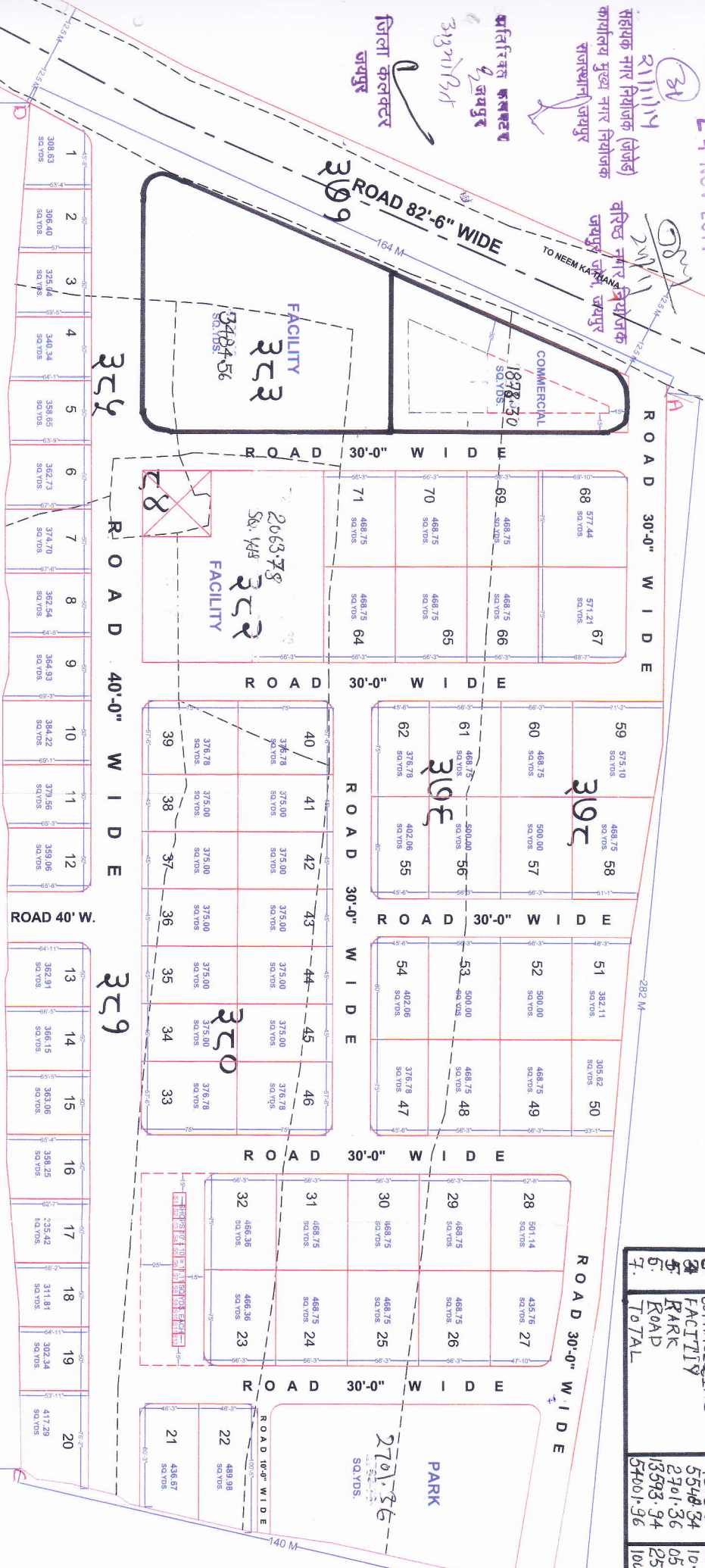
कतिरिक्त कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"UNNATI Phase-I"
AT SAIWAD VILLAGE, NEEM KA THANA ROAD, SHAHPURA, JAIPUR (RAJ.)

S.NO	LAND USE	AREA (sq. Yds)	%
1.	RESIDENTIAL	29557.43	54.5
2.	INFORMAL COMMERCIAL	822.59	1.5
3.	COMMERCIAL	1878.30	3.5
4.	RAK	5548.34	10.2
5.	RAK	2701.36	5.0
6.	ROAD	13593.94	25.1
7.	TOTAL	57401.96	100.0

SCALE : 1"=80'-0"



A B C D है टावर स्मार्ट को मांजित
मानना किमा एम.नं. 378 379 380,
381, 382, 383, 384, 385 में समाहित
है। एम.नं. 386 को मांजित नहीं किया गया है।
4.62 हैट है। इस किमा को मांजित करने के लिए
नगर को लिखित व कार्यालयी तरीके से
नसी है।

आवक द्वारा निम्न शर्तों को पालना सुनिश्चित की जायेगी- (1) उक्त ले-आउट प्लान समीक्षा के बाद आदेश क्रमांक: आर/88/014/आर/429-436 दिनांक: 30.01.14
पाट होगा। (2) राजस्व विभाग के पायन क्रमांक प. 6 (6)राज-6/92/21 दिनांक 27.06.2007 एवं पायन क्रमांक: प. 6 (6)राज-6/82 पाट/29 दिनांक 8.10.2007 के प्राधान्यों को पालना सुनिश्चित की जायेगी। (3) भूमि को एप्लोय सेड की उपलब्धता एवं स्वतः के आस पास आर पूर्व में अनुमोदित योजनाओं स्थित में
योजना क्षेत्र को सबको की निरस्तता विधान सबको एवं अन्य योजनाओं से बनी रहेगी, यह सुनिश्चित किया जायेगा। (4) योजना में मुख्य पर सेटबैक एवं अन्य
निर्माण के पैरामीटर निकटतम नगरपालिका के भवन विनियमों के प्राधानानुसार होंगे। (5) योजना का विकास अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार करना होगा
योजना में आधारभूत सुविधाएँ जैसे- सड़क, नाली निर्माण, पावों का विकास, लाईट, पानी आदि का विकास आवक को स्वयं को खर्च पर विकसित करने होंगे
आईआरसी से प्रमाणित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। (6) योजना में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा
योजना में नियमानुसार वाटर हॉस्टिंग के प्राधान लागू होंगे। (10) योजना में गरीब नगर निवेशक, द्वारा ऑफर शर्तों के अनुसार गृहपूजा में सेटबैक भवन विनियमाना
पैरामीटर रखा जायेगा। (11) योजना में में गरीब नगर निवेशक, जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक: 897 दिनांक: 24.11.14 में अंकित सभी शर्तों को पालना की जायेगी।